प्रेस नोट

दिनांक 06.07.2025

थाना सिसोलर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एंव अपराधियों के विरुद्ध चालए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिसोलर पुलिस द्वारा अभियुक्त **रवि सिंह पुत्र अमर सिंह** (उम्र करीब 34 वर्ष) निवासी ग्राम बैजेमऊ थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर को ग्राम बैजेमऊ पुलिया के पास थाना सिसोलर, जनपद हमीरपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बरामद किया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 78/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण

रवि सिंह पुत्र अमर सिंह (उम्र करीब 34 वर्ष) निवासी ग्राम बैजेमऊ थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 कपिल मलिक

02. का0पुरूषोत्तम नारायण

03. का0 भगवान सिंह